

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 03/2019

GCMS No-2019/00014

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी :-
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		अशोक पुत्र प्रभुराम जाति गुर्जर मैसर्स-श्री देवनारायण दुध डेयरी गायत्री नगर साण्डेराव रोड़ पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011  
उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक:- 24-11-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 24.07.2018 को दौराने गश्त मैसर्स श्री देवनारायण दुध डेयरी गायत्री नगर पाली पर गया जहां पर अप्रार्थी अशोक उपस्थित मिला जो दुध की बिक्री करता पाया गया जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण करने पर दुध के फ्रीज में दो जगह लगभग 80 लीटर दुध भरा हुआ था, जिसे अप्रार्थी आमजन को बिक्री कर रहा था व बिक्री हेतु रखा हुआ था। विक्रेता ने बताया कि यह गाय का दुध है, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर फ्रिज में रखे गाय के दुध को मिक्सर से हिला मिलाकर एकरूप करके दो लीटर गाय का दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 80/-रुपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाह, प्रार्थी एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा गाय के दुध को विक्रेता एवं गवाहान के सामने चार भागो में बांटकर चार साफ सुखी व खाली शीशी में बराबर मात्रा में डालकर उसमें 40-40 बुंद फार्मेलिन की बतौर



प्रीजरवेटीव डालकर प्रत्येक शीशी को एयर टाईट बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर-803 अंकित कर नमूने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाच रिपोर्ट संख्या एलएस/567/एक्ट/2018/586 दिनांक 08.08.2018 के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया गाय के दुध का नमूना क्रमांक आर- 803 अमानक स्तर का (Sub Standard) पाया गया। विक्रेता अशोक ने Sub Standard स्तर के गाय के दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान से लिया गया दुध का नमूना जो जाच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी एक कम पढा लिखा एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त कर प्रकरण ड्रॉप करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा प्रार्थी की दुकान मैसर्स- श्री देवनारायण दुध डेयरी गायत्री नगर पाली से नमूना क्रमांक आर-803 गाय के दुध का नमूना लेते समय नियमानुसार नमूना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.07.2018 को अप्रार्थी की डेयरी से गाय का दुध क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./567/एक्ट/2018/586 दिनांक 08.08.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-803 को Sub-standard (अमानक स्तर) का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व



वितरित जिला मजिस्ट्रेट  
पाली (राज.)

नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) के गाय के दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)